आईपी
वीआईपी

ईएसआईसी-2.0
चिंता से मुक्ति

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सामाजिक सुरक्षा का अटूट वादा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in
टोल फ्री नं: 1800 11 2526, चिकित्सा हेल्पलाइन नं: 1800 11 3839
www.facebook.com/esichq @esichq

भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना

परिचय

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में सामाजिक बीमा का एकीकृत उपाय है। इसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में परिभाषित 'कर्मचारियों' को बीमारी, प्रसव, निःशक्तता तथा नौकरी के दौरान चोट लगने से मृत्यु जैसे खतरों से बचाने तथा बीमाकृत व्यक्ति एवं उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। यह क.रा.बी. योजना कारखानों तथा सड़क परिवहन, होटलों, रेस्तरां, सिनेमा, समाचार पत्र, दुकान, शैक्षिक/चिकित्सा संस्थाओं जैसी अन्य स्थापनाओं पर लागू होती है जहाँ 10 या इससे अधिक व्यक्ति रोजगाररत हों। तथापि, कुछ राज्यों में स्थापनाओं की कवरेज के लिए यह सीमा अभी भी 20 है। कारखानों तथा स्थापनाओं की उक्त श्रेणियों के कर्मचारी जो प्रतिमाह ₹ 21,000/– तक वेतन प्राप्त करते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति के लिए पात्र हैं।

क.रा.बी. योजना का वित्त पोषण नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से होता है। नियोक्ता द्वारा अंशदान की दर कर्मचारियों को देय वेतन का 4.75 प्रतिशत है। कर्मचारियों के अंशदान की दर कर्मचारी को देय वेतन का 1.75 प्रतिशत है। दैनिक मजदूरी के रूप में रोजाना ₹ 137/– तक कमाने वाले कर्मचारी अपने हिस्से का अंशदान देने से मुक्त हैं।

व्याप्ति

आरंभ में, क.रा.बी. योजना 1952 में मात्र दो औद्योगिक केन्द्रों कानपुर और दिल्ली में लागू की गई थी। भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार तथा जन–व्याप्ति की दृष्टि से इस योजना ने तब से लेकर आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। औद्योगीकरण की प्रगति के साथ–साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई यह योजना आज देश के 33 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 325 जिलों एवं 92 जिला मुख्यालयों में पूर्ण रूप से लागू है। आज यह अधिनियम देशभर के 8.98 लाख कारखानों तथा स्थापनाओं पर लागू है तथा लगभग 3.19 करोड़ बीमित व्यक्ति/ परिवार एककों को योजना के हितलाभ दायरे में लाया गया है। इस समय योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 12.37 करोड़ से अधिक है।

आधारभूत ढांचा

वर्ष 1952 में योजना के लागू होने के बाद से ही कामगारों की निरन्तर बढ़ती संख्या के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए योजना के आधारभूत नेटवर्क में विस्तार होता रहा है। क.रा.बी. निगम ने अभी तक अंतः रोगी सेवाओं हेतु 155 अस्पताल और 42 अस्पताल अनैक्सियों की व्यवस्था की है। लगभग 1467/159 क.रा.बी. औषधालयों/ आयुष इकाइयों और 948 पैनल क्लीनिकों के नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक तथा बाह्य रोगी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जोखिम भरे उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को व्यावसायिक रोगों के निदान व उपचार के लिए निगम ने मुम्बई (महाराष्ट्र), नई दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नै (तमिलनाडु) तथा इन्दौर (म.प्र.) प्रत्येक में एक–एक व्यावसायिक रोग निदान केन्द्र स्थापित किया है।

नकद हितलाभों के भुगतान के लिए निगम का देश भर में 630 / 185 शाखा कार्यालयों / भुगतान कार्यालयों का नेटवर्क है, जिसका पर्यवेक्षण 63 क्षेत्रीय / उप–क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

क.रा.बी. योजना के हितलाभ

क.रा.बी. योजना के अर्न्तगत मुख्य हितलाभ हैं:

- बीमारी हितलाभ
- निःशक्तता हितलाभ
- आश्रितजन हितलाभ
- मातृत्व हितलाभ
- चिकित्सा हितलाभ

उपरोक्त के अतिरिक्त, लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले अन्य हितलाभ हैं – प्रसूति व्यय, अंत्येष्टि व्यय, व्यावसायिक पुनर्वास, शारीरिक पुनर्वास, बेरोजगारी भत्ता (रा.गा.श्र.क.यो.) तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।

क.रा.बी. निगम–भारतीय कामगारों के लिए एक सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा संगठन

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की परिभाषा के अनुसार सामाजिक सुरक्षा– "वह सुरक्षा है जो निश्चित जोखिम के विरुद्ध उपर्युक्त संगठन द्वारा समाज की सुरक्षा के लिए की जाती है। ये जोखिम उन लोगों के लिए आपात स्थितियाँ हैं जिनसे वे केवल अपने स्वयं की सामर्थ्य या दूरदृष्टि अथवा अपने सहयोगियों के साथ निजी भागीदारी से भी प्रभावी तौर पर नहीं निपट सकते हैं। इसलिए सामाजिक सुरक्षा के तंत्र में प्रकृति के घोर अन्याय का सामना करने और इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हित साधनपूर्वक युक्तियुक्त सुनियोजित न्यायपूर्ण आर्थिक क्रिया–कलाप हैं।

क.रा.बी. निगम भारत में एकमात्र सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो कि

ज्यादातर आकस्मिकताओं (आईएलओ की सूची में उपलब्ध) को व्याप्त करता है जो बीमारी, श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल, मातृत्व, बेरोजगारी, कार्य के दौरान चोट, श्रमिक की मृत्यु, निःशक्तता और विधवापन की आकस्मिकताओं से संबंधित हितलाभ प्रदान करता है।

क.रा.बी. योजना गांधी जी के 'क्षमता के अनुरूप अंशदान और आवश्यकता के अनुरूप हितलाभ' के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत से एक बीमाकृत व्यक्ति जो कि समाज के कम आय वर्ग से आता है अपनी आमदनी के अनुरूप अंशदान का भुगतान करके बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त करता है।

क.रा.बी. योजना के अधीन किये जाने वाले प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा भुगतान बीमाकृत व्यक्ति को उसकी बचतों अथवा आमदनी पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना मदद करते हैं। क.रा.बी. निगम उनकी आपात चिकित्सा और अन्य आकस्मिकताओं के दौरान देखभाल करता है। क.रा.बी. योजना द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हितलाभ हैं:

1. (क) **बीमारी हितलाभ** का भुगतान बीमाकृत व्यक्ति को दो लगातार हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक औसत दैनिक मजदूरी के 70 प्रतिशत की दर से किया जाता है।

   (ख) **वर्धित बीमारी हितलाभ** (पुरुष नसबंदी/महिला नलीबंदी हेतु) महिला नलीबंदी हेतु 14 दिनों तथा पुरुष नसबंदी हेतु 7 दिनों के लिए औसत प्रतिदिन मज़दूरी का 100 प्रतिशत भुगतान, इसे डाक्टरी सलाह पर बढ़ाया भी जा सकता है।

   (ग) **विस्तारित बीमारी हितलाभ** 3 वर्षों की ईएसबी अवधि के दौरान चिकित्सा व्यवसायियों तथा चिकित्सा बोर्ड की सलाह के अनुसार 124/309/730 दिनों के लिये औसत दैनिक मजदूरी के 80 प्रतिशत की दर पर देय है।

2. **निःशक्तता हितलाभ** के अधीन, बीमाकृत व्यक्ति जब रोजगार चोट के कारण निःशक्त हो जाता है उसे जब तक अस्थायी निःशक्तता बनी रहती है, औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। स्थायी पूर्ण निःशक्तता होने पर, संपूर्ण जीवन के लिये औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है और स्थायी आंशिक निःशक्तता के लिए बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि के समानुपातिक भुगतान किया जाता है।

3. यदि बीमाकृत व्यक्ति की रोजगार चोट के कारण मृत्यु हो जाती है तो

औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की दर से **आश्रितजन हितलाभ** का भुगतान किया जाता है जो कि सभी आश्रितों के बीच नियत अनुपात में साझा करने योग्य होता है। शर्तों के अधीन इसका भुगतान विधवा को जीवनपर्यन्त अथवा जब तक पुनः विवाह नहीं करती है, और आश्रित बच्चों को 25 वर्ष की आयु होने तक और शर्तों के अधीन आश्रित माता–पिता को भी किया जाता है। लाभार्थियों तक पहुँच कायम करने और व्यवस्था को अधिक ग्राहक अनुकूल बनाने के वास्ते सभी हितलाभों को ईसीएस प्रणाली के जरिये लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कराया जा रहा है।

4. **मातृत्व हितलाभ** का भुगतान प्रसूति के मामले में 26 सप्ताह तक तथा गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक औसत दैनिक मजदूरी के 100 प्रतिशत की दर से किया जाता है। गर्भधारण, प्रसूति अथवा गर्भपात के कारण होने वाली बीमारी के मामले में चिकित्सा परामर्श पर इसे एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2015–16 के दौरान नकद हितलाभ भुगतान पर कुल ₹ 703 करोड़ व्यय किये गये हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति क.रा.बी. निगम द्वारा अपने बीमाकृत व्यक्तियों को संकट के समय प्रदान की गई बड़ी सहायता का अंदाजा लगा सकता है, अन्यथा इससे देश के कम आय वर्ग में आने वाले कार्यबल पर अतिरिक्त बोझ पड़ा होता।

5. क.रा.बी. निगम द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक सबसे बड़ा हितलाभ **'चिकित्सा हितलाभ'** है जो कि बीमायोग्य रोजगार में **प्रवेश के दिन से स्वयं और परिवार के लिए 'उचित चिकित्सा देखभाल' (प्राथमिक बाह्य रोगी विभाग सेवायें तथा भर्ती रोगी द्वितीयक सेवायें)** उपलब्ध करवाता है, जो कि तब तक जारी रहते हैं जब तक बीमायोग्य रोजगार में बीमाकृत व्यक्ति बना रहता है। अति–विशिष्टता इलाज अंशदायी संबंधी शर्तों को पूरा करने पर उपलब्ध कराया जाता है। इलाज एलोपैथी और आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। क.रा.बी. निगम औषधालय और अस्पताल आवश्यक चिकित्सा इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। अति–विशिष्टता इलाज कुछेक क.रा.बी. अस्पतालों अथवा क.रा.बी.–स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध आंतरिक अति–विशिष्टता सेवाओं के जरिये अथवा देश भर के 1000 से अधिक संबद्ध अस्पतालों के जरिये रेफरल आधार पर बड़ी संख्या में उन्नत चिकित्सा संस्थानों के जरिये उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे मामलों में क.रा.बी. निगम रोगी अथवा उसके परिवार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना अस्पतालों को सीधे भुगतान करता है।

   चिकित्सा हितलाभ मृतक / सेवानिवृत्त / अधिवर्षिता प्राप्त बीमाकृत व्यक्तियों की विधवा / जीवनसाथी के साथ–साथ उन बीमाकृत व्यक्तियों की विधवाओं, जीवनसाथी को, जो कि स्थायी निःशक्तता के कारण बीमायोग्य रोजगार में बने रहते, और आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने वाली बीमाकृत व्यक्तियों की विधवाओं को भी प्रदान किये जाते हैं।

6. **सेवानिवृत्ति हितलाभ** बीमाकृत व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष तक बीमाकृत व्यक्ति रहने के बाद सेवानिवृत्ति आयु के पूरा होने पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अवकाश लेने या समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेकर बीमायोग्य रोजगार छोड़ता है, वह एक वर्ष के लिए आंशिक अंशदान ₹ 120/– (एक सौ बीस रुपए मात्र) के भुगतान और आवश्यक प्रमाण दिखाकर अपने लिए और अपने जीवनसाथी के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर सकता है। यदि, बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी अंशदान अदा किए जा चुके शेष अवधि तक चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर सकता है और आगे की अवधि के लिए प्रति वर्ष अंशदान ₹ 120/– (एक सौ बीस रुपए मात्र) का भुगतान कर चिकित्सा हितलाभ को जारी रख सकता है।

   बीमाकृत व्यक्ति द्वारा सेवानिवृत्ति आयु के पूरी होने के बाद नौकरी छोड़ने या ऐसी स्थायी चोट की वजह से नौकरी के लिए अयोग्य होने की तिथि तक समान अंशदान का भुगतान करने पर यह चिकित्सा हितलाभ उस बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके जीवनसाथी के लिए भी मान्य है जो रोजगार चोट के फलस्वरूप स्थायी निःशक्तता की वजह से रोजगार के लिए अयोग्य हो चुके हैं।

7. अन्य हितलाभों में बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति के मामले में उसकी पत्नी का **प्रसूति खर्च** शामिल है यदि कहीं पर प्रसूति ऐसे स्थान पर होती है जहां क.रा.बी. योजनाओं के अधीन आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ केवल दो अवसरों के लिए ₹ 5000/– का भुगतान किया जाता है।

8. ₹ 10,000/– बीमाकृत व्यक्ति के **अंतिम संस्कार का खर्च**

9. रोजगार चोट के कारण शारीरिक निःशक्तता के मामले में **व्यावसायिक प्रशिक्षण,** जिसके लिए प्रभारित वास्तविक शुल्क अथवा ₹ 123/– प्रतिदिन, जो भी अधिक होता है, का **व्यावसायिक प्रशिक्षण** समाप्त होने तक भुगतान किया जाता है।

10. रा.गां.श्र.क.यो. के अंतर्गत **बेरोजगारी भत्ता** फैक्टरी बंद होने, छंटनी अथवा गैर रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता से रोजगार की अस्वैच्छिक हानि और रोजगार जाने से पहले तीन वर्ष के लिये अंशदान के भुगतान के मामले में देय है। इस भत्ते का भुगतान पहले 2 महीनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत की दर पर तथा इसके बाद 13–24 महीनों की अवधि के लिए 25 प्रतिशत की दर पर किया जाएगा। रा.गां.श्र.क.यो. के अधीन, रोजगार की अस्वैच्छिक हानि के मामले में, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि बीमाकृत व्यक्ति अपने कौशल को बढ़ा सके और अन्य रोजगारों के लिए विकल्प चुन सके।

11. **निःशक्त व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहन के लिये** ऐसे निःशक्त कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के अंशदान के हिस्से का आरंभ में दस वर्षों के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। नियोक्ताओं को क.रा.बी. अधिनियम के तहत व्याप्त कारखानों और स्थापनाओं में कार्यरत स्थायी रूप से निःशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में उनके वेतन पर ध्यान दिये बिना ही 10 वर्ष तक उनके अंशदान के हिस्से का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।

हितलाभ, अंशदायी शर्तों, हितलाभ की अवधि तथा हितलाभ के स्तरों का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	हितलाभ का नाम	अंशदायी शर्तें	हितलाभ की अवधि	हितलाभ की दर/प्रकार/टिप्पणियां
1	**चिकित्सा हितलाभ**	कर्मचारी क.रा.बी. अधि. के अंतर्गत एक बीमाकृत व्यक्ति होना चाहिए।	बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से	बीमाकृत व्यक्ति एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की उचित चिकित्सा देखभाल, विस्तृत चिकित्सा देखभाल एवं नैदानिक जांच।
1(क)	**स्थायी रूप से निःशक्त बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला जो रोजगार चोट के कारण बीमायोग्य रोजगार के लिए अयोग्य है, को चिकित्सा देखभाल**	प्रति वर्ष ₹ 120/– के भुगतान पर	वार्षिक आधार पर	बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला तथा उनके जीवनसाथी को सेवानिवृत्ति की तिथि तक क.रा.बी. चिकित्सा संस्थानों में प्राथमिक एवं द्वितीयक देखभाल (एसएसटी को छोड़कर) हेतु चिकित्सा सुविधा।
1(ख)	**सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल**	बीमाकृत व्यक्ति जो प्रति वर्ष ₹ 120/– के भुगतान पर (न्यूनतम पांच वर्षों तक बीमाकृत व्यक्ति बने रहने के बाद सेवानिवृत्ति आयु के पूरा होने पर, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अवकाश लेने या समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेकर) बीमायोग्य रोजगार छोड़ता है।	वार्षिक आधार पर	बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके जीवनसाथी को आजीवन क.रा.बी. चिकित्सा संस्थानों में प्राथमिक एवं द्वितीयक देखभाल (एसएसटी को छोड़कर) हेतु चिकित्सा सुविधा। यह हितलाभ दिवंगत बीमाकृत व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध है जिसने इस हितलाभ के लिए पंजीकरण करवाया था।
2(क)	**बीमारी हितलाभ**	संगत अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों के अंशदान के भुगतान पर	किन्हीं दो लगातार हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक	औसत दैनिक मजदूरी का 70 प्रतिशत
2(ख)	**वर्धित बीमारी हितलाभ**	बीमारी हितलाभ के अनुसार	पुरुष नंसबंदी हेतु बीमाकृत व्यक्ति के लिए 7 दिन तथा महिला नलीबंदी हेतु बीमाकृत महिला के लिए 14 दिन।	औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत
3	**विस्तारित बीमारी हितलाभ**	34 वर्णित दीर्घकालिक रोगों के लिए, बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला चार लगातार अंशदान अवधियों में न्यूनतम 156 दिन के अंशदान के साथ दो वर्षों के लिए निरंतर बीमायोग्य रोजगार में होनी चाहिए।	124 से 309 दिन जिसे वर्णित दीर्घकालिक रोग होने की स्थिति में चिकित्सा सलाह पर दो वर्ष (730 दिनों) तक बढ़ाया जा सकता है।	औसत दैनिक मजदूरी का 80 प्रतिशत
4	**निःशक्तता हितलाभ**			
4(क)	**अस्थायी निःशक्तता हितलाभ**	बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से। कार्य के दौरान लगी रोजगार चोट तथा बीमायोग्य रोजगार से बाहर होने पर देय।	• निःशक्तता 3 दिन (दुर्घटना के दिन को छोड़कर) से कम समय के लिए बने रहने पर, हितलाभ देय नहीं है। • अन्यथा अस्थायी निःशक्तता बने रहने पर, पूर्ण अवधि के लिए देय है।	औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत।
4(ख)	**स्थायी निःशक्तता हितलाभ**	• कोई अंशदायी शर्त नहीं है। • बीमायोग्य रोजगार की अवधि में तथा के बाहर दुर्घटना या व्यावसायिक रोग के कारण पूर्ण या आंशिक स्थायी निःशक्तता हेतु देय है।	आजीवन	• स्थायी पूर्ण निःशक्तता हेतु– औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत। स्थायी आंशिक निःशक्तता हेतु– चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार अर्जन क्षमता की हानि के समानुपात। • इसे एकमुश्त राशि में परिवर्तित किया जा सकता है यदि दैनिक दर

क्र. सं.	हितलाभ का नाम	अंशदान शर्तें	हितलाभ की अवधि	हितलाभ की दर / प्रकार / टिप्पणियां
				हितलाभ ₹ 10 / – तक है या कुल परिवर्तित लागत ₹ 60,000/- से अधिक नहीं है।
5(क)	**आश्रितजन हितलाभ**	रोजगार चोट के कारण मृत्यु होने पर, बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से।	विधवा को जीवनपर्यन्त या उसके पुनर्विवाह होने तक तथा प्रत्येक वैध या दत्तक पुत्र को 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक। प्रत्येक वैध या दत्तक अविवाहित पुत्री को उसका विवाह होने तक। अशक्त बच्चे को उसकी अशक्तता में बने रहने तक।	निर्धारित अनुपात में आश्रितजनों के मध्य अंशदान योग्य औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत।
5(ख)	**आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने पर विधवा महिला की चिकित्सा देखभाल**	आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने पर विधवा महिला को।	वार्षिक आधार पर।	आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने पर दिवंगत बीमाकृत व्यक्ति की विधवा को ₹ 120 / – के वार्षिक भुगतान पर क.रा.बी. चिकित्सा संस्थानों में प्राथमिक एवं द्वितीयक देखभाल (एसएसटी को छोड़कर) हेतु चिकित्सा सुविधा।
6.	**मातृत्व हितलाभ**	तत्काल पूर्ववर्ती 2 निरंतर अंशदान अवधियों में देय 70 दिन का अंशदान।	• दो जीवित बच्चों के लिए 26 सप्ताह तक तथा तत्पश्चात् • तीसरे जीवित बच्चे और आगे के लिए 12 सप्ताह। • गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह। • कमीशनिंग माता के लिए 12 सप्ताह। • दत्तक माता के लिए 12 सप्ताह।	औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत।
7	**प्रसव व्यय**	जहां क.रा.बी. योजना के अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी के संदर्भ में बीमाकृत व्यक्ति को यथास्थान प्रसव व्यय के कारण चिकित्सा बोनस का भुगतान किया जायेगा।	दो प्रसव तक।	₹ 5,000 / – प्रति मामला, दो मामलों तक।
8	**अंत्येष्टि व्यय**	• बीमाकृत व्यक्ति, क.रा.बी. योजना के अंतर्गत किसी हितलाभ को प्राप्त करने के लिए पात्र रहा हो। • सबसे बड़े जीवित सदस्य / आश्रितजनों / किसी व्यक्ति जो वास्तव में अंत्येष्टि के खर्च का भार उठायेगा, द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर।	बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर होने वाले व्यय के लिए एकमात्र भुगतान।	मूल व्यय अधिकतम ₹ 10,000 / – मात्र तक।
9.	**राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता**	• प्रत्येक अंशदान अवधि में प्रदत्त / देय 78 दिनों के अंशदान के साथ अंतिम 2 वर्षों के लिए बीमायोग्य रोजगार। • कारखाने / स्थापना के बंद होने, छंटनी या 40 प्रतिशत से कम गैर–रोजगार चोट की वजह से हुई स्थायी निःशक्तता की अस्वैच्छिक बेरोजगारी।	• पूर्ण बीमायोग्य रोजगार के दौरान 24 माह की अधिकतम अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता। • बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे बीमाकृत व्यक्ति के कौशल उन्नयन हेतु 1 वर्ष की अवधि का व्यावसायिक प्रशिक्षण।	• निम्न दरों पर बेरोजगारी भत्ता (क) 0–12 माह के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत। (ख) 13–24 माह के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25 प्रतिशत। • बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के दौरान स्वयं तथा परिवार के लिए चिकित्सा देखभाल। • सरकार द्वारा अनुमोदित / मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रभारित पूर्ण शुल्क का भुगतान क.रा.बी.नि. द्वारा किया जायेगा।
10.	**नियम 60 के अंतर्गत व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता**	आयु 45 वर्ष से अधिक न हो तथा रोजगार चोट की वजह से न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता रखता हो।	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र / संस्थान के प्रतिमानों के अनुरूप सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण।	• सामान्य दरों पर वाहन खर्च / द्वितीय श्रेणी रेल / बस किराया जो लागू हो। • केन्द्र द्वारा प्रभारित व्यय या ₹123/- प्रतिदिन, जो भी अधिक हो।